small industries? You are saying that I have been raising this issue again and again. You reply mentions about things which not applicable to the small industries. Can a small industry own a wagon? Can a small industry own a warehouse? You please reply to the specific points.

SHRI R. VELU: Sir, I am trying to explain to the hon. Member about the various facilities created in this country not only to take care of the big industries, but also of the small industries. This Government is meant for the common man. The aim of the Government is to have a modernisation plan. ... *(Interruptions)*... Let me finish. In fact, the hon. member is well aware that whenever the Ministry is approached for allotment of rakes to meet the requirement of the small industry, we are obliging it. The hon. Member is well aware of it. We are are even prepared to earmark a certain percentage, if necessary, to take care of the small industry so that they can be encouraged. In fact, last year in Andhra Pradesh, such a claim was made and we had obliged it. Why? Because the aim of this Government is to help the common man, the small man. A big man can take care of himself, but not the small man. The Railway is meant for the common man.

MR. CHAIRMAN: That is enough.

SHRI R. VELU: Sir, I want to answer his question regarding the anti-collusion device. We have already made a big experiment—there is a pilot project—in the North Frontier Railway. It is at an advanced stage. We are going to extend it to other parts of the country also. Sir, we do not want to lose even a single life due to any railway accident.

*605 [The questioners MS. Pramila Bohidar and Shri B.J. Panda) were absent. For answer *vide* page 37].

एकीकृत खाद्य कानून

*606. श्री कमाल अख्तर: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थों को अपनी गुणवत्ता जांच के लिए कई कानूनों से गुजरना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए कई कानून होने के कारण उनकी गुणवत्ता जांच से संबंधित कार्य समुचित रूप से नहीं किया जाता जिसके कारण वकीलों की कमाई और अदालतों का काम बढ़ रहा है;

(घ) क्या सरकार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच के लिए कुछ एकीकृत कानून तैयार करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) फिलहाल खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा बहुत से कानूनों द्वारा विनियंत्रित है, जिसकी सूची संलग्न विवरण-। में दी गई है (नीचे देखिए)। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने समेकित खाद्य कानून के लिए आवश्यक समझे गये विधायी और अन्य परिवर्तन प्रस्तावित करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया है।

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने समेकित खाद्य कानून का मसौदा अनुमोदित किया है जिसमें खाद्य कानूनों और प्रवर्तन एजेंसियों की बहुलता को समाप्त करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित कानून से बेहतर मानक निर्धारण तथा प्रवर्तन हेतु विभिन्न एजेंसियों के अंतर्गत सृजित बुनियादी ढांचे, जनशक्ति तथा परीक्षण सुविधाओं का एकत्रीकरण भी हो सकेगा।

अनुबंध-।

खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा को विनियमित करने वाले कानूनों की सूची

1. खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियम 1955
2. फल उत्पाद आदेश, 1955
3. दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992
4. मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973
5. वनस्पति तेल उत्पाद (नियंत्रण) आदेश, 1947
6. सॉल्वेन्ट एक्सट्रैक्ट ऑयल या वितेलित भोजन और खाद्य आटा (नियंत्रण) आदेश 1967
7. खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियमन) आदेश, 1998
8. शिशु दूध स्थानापन्न, फीडिंग बोतल और शिशु खाद्य (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992

9. बाट और माप मानक अधिनियम, 1976

10. निर्यात (गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963

11. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और नियम 1989

12. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986

13. कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937

14. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962

15. विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992

16. केन्द्रीय/राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों द्वारा लागू अन्य अधिनियम/आदेश

Unifying food laws

†*606. SHRI KAMAL AKHTAR: Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that food products have to pass through many laws for their quality test;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that, owning to several laws for examining the quality of food products, the work relating to their quality test is not performed properly which results in the increase of lawyers as well the work of courts;

(d) whether Government are considering to formulate some unified law to examine the quality of food products; and

(e) if so, the details thereof

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SUBODH KANT SAHAY): (a) to (e) A Statement is laid on the table of the House.

Statement

(a) to (e) At present, quality & safety of food products are regulated by multiplicity of laws, a list of which is given in the enclosed Statement-I (*See* below). Keeping this in view, the Government have constituted a Group of Ministers (GOM) to propose legislative and other changes considered necessary for an Integrated Food Law.

---

†Original notice of the question was received in Hindi.

The GOM has approved a draft Integrated Food Law which proposes to do away with the multiplicity of food laws and enforcement agencies. The proposed law would also enable pooling of infrastructure, manpower and testing facilities created under different agencies, for better standard fixation and enforcement.

Statement

List of laws regulating food quality and safety

1. Prevention of Food Adulteration Act, 1954 and Rules 1955
2. Fruit Products Order, 1955
3. Milk & Milk Products Order, 1992
4. Meat Food Products Order, 1973
5. Vegetable Oil Products (Control) Order, 1947
6. Solvent Extracted Oil, De oiled Meal, and Edible Flour (Control) Order, 1967
7. Edible Oil Packaging (Regulation) Order, 1998
8. Infant Food Substitute, Feeding Bottles and Infant Food (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992
9. Standards of Weight & Measure Act, 1976
10. Export (Quality Control & Inspections) Act, 1963
11. Environment Protection Act, 1986 and Rules, 1989
12. Bureau of Indian Standards Act, 1986
13. Agricultural Produce (Grading & Marketing) Act, 1973
14. The Customs Act, 1962
15. Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992
16. Other Act/Orders promulgated by Central/State Government/UTs.

श्री कमाल अख्तर: सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं जैसा कि उन्होंने अपने जवाब के अंदर दिया है, तो इतनी लम्बी जांच व प्रक्रिया के बावजूद खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता ऐसी क्यों है? दूध और पेप्सी जैसे उत्पादनों के अंदर जो जांच की गई तो तमाम मात्रा में हानिकारक एसिड पाया गया और यह जानकारी किसी सरकारी एजेंसी की नहीं है बल्कि एक एन॰जी॰ओ॰ की जांच के अंदर यह बात पाई गई है। इस सम्बन्ध में इस घटना के बाद जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपार्ट आई है उसके बारे में और इसके बारे में और क्या कदम मंत्री जी का विभाग उठा रहा है, यह बतलाने का कष्ट करें?

श्री सुबोध कांत सहाय: सभापति महोदय, बेसिकली सवाल तो बहुत ही साफ है जो इंटीग्रेटिड फूड लॉ की प्रक्रिया के बारे में है। माननीय सदस्य ने एक बहुत स्पेसिफिक सवाल उठाया है जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कर रिपोर्ट के बारे में। मैं समझता हूं कि इस सवाल में उसका जवाब मुझे देना पॉसिबिल नहीं होगा। लेकिन पेप्सी के बारे में जोइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी या उससे संबंधित जो घटना है जैसे उन्होंने मिल्क पर कहा है, यही सवाल सबसे बड़ा देखा गया कि 16 कानूनों में यह कहीं न कहीं उलझ कर के जा रहा है और चीजें सामने निकलकर नहीं आ रही हैं। रिकार्ड टाइम में हम लोगों ने 5 महीने में माननीय शरद पवार जी के नेतृत्व में ग्रुप आफ मिनिस्टर्स जो बना था उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी और हम अगले महीने फर्स्ट वीक में केबिनेट में ले जाकर के इसको कानून के रूप में अगले सेशन में पार्लियामेंट में लाना चाहते हैं। यह सारी चीजों का जवाब होगा कि जो फूड एडलट्रेशन के 16 कानूनों के चलते न इसमें उद्योग लग रहे हैं और न क्वालिटी कंट्रोल हो पा रहा है इसलिए यह कानून हम लेकर के आ रहे हैं और यह उम्मीद करते हैं कि हम अगले सत्र में इसको पास करा लेंगे। दुनियां के कानून के बराबरी में या कोडेक से मिलता हुआ हिन्दुस्तान का यह कानून होगा। आपने जो स्पेसिफिक सवाल कहा है उसके बारे में हम अभी जवाब नहीं दे पाएंगे।

श्री कमाल अख्तर: सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि अपने जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि ग्रुप आफ मिनिस्टर्स समेकित खाद्य कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। सारे लोग जानते हैं कि कोई कानून बनाने की प्रक्रिया कितनी लम्बी है और उसके अंदर कितना समय लगता है। तो जब तक यह कानून बनेगा तब तक करोड़ों लोग खाद्य पदार्थों की मिलावट की वजह से अपनी जान से, अपने स्वास्थ्य से हाथ धो बैठेंगे।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब तक यह कानून बने तब तक के लिए क्या आपने कोई अंतरिम योजना बनाई है? अगर कोई योजना बनाई है, तो क्या है?

श्री सुबोध कांत सहाय: सभापति महोदय, बेसिकली जो सोलह कानून हैं, ये ऐसे नहीं हैं कि इन कानूनों के तहत क्वालिटी कंट्रोल पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर: सर, सोलह कानूनों के बाद भी पेप्सी और मिल्क के बारे में रिपोर्ट आई है। ऐसा सोलह कानूनों के बावजूद हो रहा है, सोलह कानूनों की प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद भी हो रहा है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सभापति: सोलह कानून आज खत्म नहीं हुये हैं, ये कानून आज भी लागू हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री कमाल अख्तर: सर, इन कानूनों के प्रभावी होने के बाद भी ऐसी स्थिति है। ...(**व्यवधान**)... सर, इन कानूनों के प्रभावी होने के बाद भी यह स्थिति है। ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी: सर, मिलावट हो रही है। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुबोध कांत सहाय: सर, जहां तक मिलावट का सवाल है, वह जनर्लाइज नहीं होती है। मान्यवर, किसी न किसी चीज में मिलावट होती है। अगर एक ही चीज़ को दो लेबोरट्रीज़ में चैक किया जाये, तो उसकी भी रिपोर्ट डिफर करती है। इन सारी चीजों को दृष्टिकोण में रखते हुए, इससे हमारा उद्योग, इससे हमारा व्यापार और लोगों की फूड प्रोसेस के बारे में धारणा अच्छी बने, इन दोनों, तीनों चीजों को लेकर के ही हम नया कानून लेकर आ रहे हैं। मैं एश्योर करना चाहता हूं कि ये सोलह कानून जो फूड एडल्ट्रेशन के खिलाफ हैं, ये ऐसे कानून नही हैं, जिनसे लोग एस्केप करके बाहर निकल जायें। इनमें भी सजा हो रही है, सैकड़ों केसेज-नहीं, हजारों केसेज आज कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गये हैं और लोगों को इनमें सजा होती है।

SHRIMATI N.P. DURGA: Sir, the Union Government has piloted a proposal for 'one law, one window and one authority', and the same has been circulated to all the States for eliciting their views on this integrated law. I would like to know from the hon. Minister whether he has received any views from the States. If yes, I would like to know the details of the views expressed by the States on this proposal.

SHRI SUBODH KANT SAHAY: My Ministry has received 7 proposals from various other Ministries; 17 proposals from the States and Union Territories; 15 proposals from the Industries' Association; 7 proposals from Education and Research Institutes; 9 proposals from the Consumers' Association; 11 proposals from other organisations including industries and stakeholders. There have also been three porposals based on the international feedback that we have got. If the hon. Member wants to know the whole thing in detail, it is there on the internet. I mean, this draft Bill is already on the internet for the last three months. So, based on whatever suggestions we are receiving, we are trying to incorporate them in the new Bill.

DR. K. MALAISAMY: Sir, I am inclined to observe that it is a right step to rationalise multiplicity of laws through participation of the Group of Ministers. I would like to know from the Minister specifically as to how long it will take to get the draft legislation implemented. Would he be able to give us at least a tentative time-frame?

SHRI SUBODH KANT SAHAY: Sir, I am grateful to the hon. Member for the concern that he has for this piece of legislation. As I have stated, I am going with the draft Bill before the Cabinet in the next week, and we would like to introduce this Bill in Parliament in the next Session. I have already circulated a copy of the draft Bill to the leaders of all the political parties so that the Members have sufficient time to study the Bill, and I hope that they would help us in passing the Bill in the next Session.